भारत सरकार

संचार मंत्रालय

दूरसंचार विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 335

उत्तर देने की तारीख 25 जुलाई, 2024

अल्पसेवित क्षेत्रों में ग्रामीण दूरसंचार सेवाओं को बढ़ाना

335. **श्री एस. निरंजन रेड्डी:**

क्या ***संचार*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) की स्थापना के बाद से, इसके अंतर्गत विशेष रूप से भारतनेट परियोजना के लिए कितनी धनराशि एकत्रित और उपयोग की गई है;

(ख) यू.एस.ओ.एफ. द्वारा अल्पसेवित, दूरदराज और शहरी क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं को बढ़ाने के लिए कौन-कौन सी विशिष्ट परियोजनाएं और योजनाएं वित्तपोषित की गई हैं;

(ग) डिजिटल भारत निधि (डी.बी.एन.) अपने दायरे और संचालन के संदर्भ में पूर्ववर्ती यू.एस.ओ.एफ. से किस प्रकार भिन्न है; और

(घ) क्या निजी कंपनियों को गैर-राजस्व उत्पादक बाजारों में दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए डी.बी.एन. के माध्यम से प्रोत्साहित किया जा रहा है और यदि हां, तो ऐसे प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) दिनांक 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार डिजिटल भारत निधि (पूर्ववर्ती यूएसओएफ) के तहत 1,62,829 करोड़ रुपए की धन राशि एकत्रित की गई है और 79,404 करोड़ रुपए संवितरित

किए गए हैं जिनमें से 40,096 करोड़ रुपए को भारतनेट परियोजना के लिए संवितरित किया गया है।

(ख) डिजिटल भारत निधि (डीबीएन) भारतनेट, 4जी सेचुरेशन परियोजना, आकांक्षी जिलों के सेवा से वंचित क्षेत्रों में मोबाइल सेवा का प्रावधान, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल सेवाएं, हिमालयी और सीमावर्ती क्षेत्रों में मोबाइल सेवाएं, द्वीपसमूहों में मोबाइल सेवाएं, पूर्वोतर क्षेत्रों में मोबाइल सेवाएं, मेघालय में मोबाइल सेवाएं, अरुणाचल प्रदेश और असम के 2 जिलों में मोबाइल सेवाएं, चेन्नई से अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह और अन्य द्वीपों के बीच सबमेरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) कनेक्टिविटी, कोच्चि से लक्षद्वीप और अन्य द्वीपसमूहों के बीच सबमेरीन ओएफसी कनेक्टिविटी जैसी विभिन्न स्कीम और परियोजनाओं को वित्तपोषित कर रहा है।

(ग) डीबीएन को *अन्य बातों के साथ-साथ* अल्पसेवित ग्रामीण, दूरदराज और शहरी क्षेत्रों में दूरसंचार सेवा की पहुंच और उपलब्धता को बढ़ावा देते हुए सार्वभौमिक सेवा को सहायता प्रदान करने का अधिदेश दिया गया है जबकि पूर्ववर्ती यूएसओएफ को ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में लोगों को टेलीग्राफ सेवाओं तक पहुंच उपलब्ध कराने का अधिदेश दिया गया था।

(घ) निजी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को (डीबीएन) के तहत व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण के माध्यम से गैर-राजस्व उत्पादक बाजारों में दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

*****